गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 को सायं 03:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 एस.पी. सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
05.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
06.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
07.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
08.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
09.	डॉ0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
10.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
11.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार पटेल	सदस्य
12.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
13.	प्रो0 एस.व्ही.एस. चौहान	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
16.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा इस सत्र हेतु विश्वविद्यालय में प्राप्त हो रहे प्रवेश आवेदन पत्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के संबंध में सदस्यों को अवगत कराया जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पूष्टि की जाय।

विषय क0-02. **वर्ष 2013, बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी एवं मास्टर ऑफ टेक्नोलाजी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले उपाधि प्रमाण पत्र के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी उपाधि प्रमाण पत्र के प्रारूप को अवलोकन किया गया।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाधि प्रमाण पत्र प्रारूप में उल्लेखित वाक्यांश ''भारत गणराज्य, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की मुहर के अधीन प्रदत्त'' को संशोधन के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

''भारत गणराज्य, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में इस विश्वविद्यालय की मुंहर के अधीन प्रदत्त''।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपाधि प्रमाण पत्र के प्रारूप में अंकित उपाधि ''बैचलर ऑफ टेक्नोलाजो'' एवं ''मास्टर ऑफ टेक्नोलाजी'' को संशोधन कर ''बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी'' एवं ''मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी'' पढ़ा व उपाधि प्रमाण पत्र में अंकित किया जाय।

विषय क0-03. **छात्रा कु0 अपूर्वा मंडल, बी.टेक-कम्प्यूटर साईंस, वर्ष 2014 को विदेश में आगामी अध्ययन हेतु उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के आयोजन में समय लगना संभावित है तथा छात्रा कु0 अपूर्वा मण्डल की भांति अन्य विद्यार्थियों को आगामी अध्ययन हेतु अथवा रोजगार के लिए वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा उपाधि की मांग की जा रही है। स्थायी समिति ने यह भी अंकित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''दीक्षांत'' हेतु प्रस्तावित प्रादर्शे अध्यादेश जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया है, में ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान भी वर्णित है :-

"Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice-Chancellor shall be competent to authorise admission of successful candidates in the year to their respective Degrees in absentia and issue the degrees on payment of prescribed fee."

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रादर्श अध्यादेश के उपरोक्त प्रावधानानुसार छात्रा कु0 अपूर्वा मण्डल, बी.टेक-कम्प्यूटर साईंस को एवं वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण अन्य विद्यार्थियों को भी उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार उपाधि प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिस तिथि को कुलपति महोदय उपाधि प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करेंगे, उस तिथि का उल्लेख उपाधि प्रमाण पत्र में जारी तिथि के रूप में अंकित किया जाय।

विषय क0-04. **समाज कार्य विभाग को बैरक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में जुलाई, 2015 (सत्र 2015-16) से स्थानांतरित करने पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बैरक में समाज कार्य विभाग की विभिन्न कक्षाओं का संचालन व विभाग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए बैठक की समुचित व्यवस्था की जाय।

विषय क0-05. **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र CBSE/Acad./DIR(ART & I)KTPI/2014 dated 05th November, 2014 को संज्ञान में लिया गया।

विषय क0-06. **विश्वविद्यालयीन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि द्वारा यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण शुल्क प्रति सेमेस्टर का एक साथ ले लिया जाय, ताकि छात्रों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को अनावश्यक परेशानी न हो।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में एक वर्ष का पूर्ण शुल्क लिया जा रहा है, उन पाठ्यक्रमों में भविष्य में इसी व्यवस्था को यथावत् लागू रखा जाय।

अन्य शेष पाठ्यक्रमों में प्रति सेमेस्टर की पूर्ण शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से ले ली जाय।

विषय क0-07. **यूजीसी द्वारा स्वीकृत रिक्त तकनीकी पदों को भरने बाबत् विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भौतिकी विभाग के लिए 08 तकनीकी पदों (टेक्नीकल ऑफिसर-01, रेडियेशन सेफ्टी ऑफिसर-01, सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट-02, टेक्नीकल असिस्टेंट-04) की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अन्य आवश्यकताओं का प्रस्ताव भौतिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए जो भी मापदण्ड निर्धारित किये है उसकी प्रति बैठक में उपलब्ध नहीं है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, शैक्षणिक अर्हतायें व अन्य आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारत वर्ष के अन्य संस्थानों में, जहां पर नाभिकीय त्वरक संबंधी शोध संचालित है, वहां से भी उपरोक्त पदों के लिए उन संस्थानों के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, योग्यता व शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी प्राप्त किया जाकर विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में उक्त जानकारी सहित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-08. **जे.आर.एफ. एवं लेक्चररशिप पात्रता के लिए सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी. नेट परीक्षा दिसम्बर, 2014 में उत्तीर्ण छात्र सूरज सिंह, बी.टेक मेकेनिकल इंजी. 8वें सेमेस्टर को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह अंकित किया कि बी.टेक मैकेनेकिल इंजीनियरिंग-08वां सेमेस्टर के छात्र श्री सूरज सिंह ने दिसम्बर, 2014 में आयोजित नेट की परीक्षा में इंजीनियरिंग साईंस केटेगिरी के अंतर्गत 8वां स्थान प्राप्त किया है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि छात्र श्री सूरज सिंह को माह दिसम्बर, 2014 में आयोजित नेट परीक्षा में इंजीनियरिंग साईंस केटेगिरी के अंतर्गत 8वां स्थान प्राप्त करने के कारण विगत वर्ष की भांति पुरस्कार स्वरूप रूपये 10,000/- प्रदान किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया गया कि विश्वविद्यालय के जो भी छात्र गेट/नेट इत्यादि की परीक्षा में 50वां स्थान तक स्थान अर्जित करेगा उन्हें प्रत्येक को प्रोत्साहन स्वरूप रूपये 10,000/- पुरस्कार राशि प्रदान किया जाये।

विषय क0-09. **शोधार्थी पी.वकुला कुमारी प्रबंध अध्ययन के शोधग्रंथ जमा करने के संबंध में।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण के संदर्भ में अध्ययनशाला वाणिज्य एवं प्रबंध के अधिष्ठाता, प्रबंध अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं शोधार्थी पी.वकुला कुमारी के शोध निर्देशक से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-10. **प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग में अध्ययनरत् बी.टेक अष्ठम सेमेस्टर के छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता अध्ययनशाला अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से सलाह मशविरा कर 05 परीक्षकों का पैनल तैयार कर संबंधित कार्यालय को भेजेंगे ताकि छात्र/छात्राओं की समस्या का समुचित निराकरण किया जा सके।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क0-01. विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि छात्र श्री दर्शन सिंह सत्र 1984-85 में बी.ए. भाग प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात् क्रमशः आगे के सत्रों में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण कर सत्र 1989-90 में एम.ए. अंतिम की परीक्षा पास किया है, परन्तु छात्र को नामांकन क्रमांक प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप एम.ए. अंतिम की अंकसूची अद्यतन जारी नहीं हो सका है। छात्र ने नामांकन क्रमांक प्रदान करते हुए एम.ए. अंतिम की अंक सूची की मांग किया है। छात्र को नामांकन शुल्क रूपये 50/- एवं नामांकन विलम्ब शुल्क (31 वर्ष का 50/- प्रतिवर्ष की दर से) 1550/- कुल रूपये 1600/- विश्वविद्यालय कोष में जमा करने पर नामांकन क्रमांक व एम.ए. अंतिम की अंकसूची जारी किया जाना संभव हो सकेगा।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि छात्र श्री दर्शन सिंह द्वारा नामांकन शुल्क रूपये 50/- एवं नामांकन विलम्ब शुल्क (31 वर्ष का 50/- प्रतिवर्ष की दर से) 1550/- कुल रूपये 1600/- विश्वविद्यालय कोष में जमा करने पर नामांकन क्रमांक व अंकसूची प्रदान किया जा सकेगा।

अ.अ.वि.क0-02. कुलपति महोदय ने स्थायी समिति के सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि कर्मचारी अध्यापनेत्तर एशोसियेशन के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ दिनांक 13.04.2015 को, एशोसियेशन द्वारा दिनांक 23.04.2015 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में चर्चा हुई है। चर्चा के पश्चात् एशोसियेशन के पदाधिकारियों ने कुलपति महोदय को आश्वस्त किये है कि ऐशोसियेशन की दिनांक 23.04.2015 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को अभी स्थगित किया जाता है। विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि दिनांक 10.04.2015 को फार्मेसी विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार एवं उड़ान पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुए है। एशोसियेशन के आव्हान पर दिनांक 10.04.2015 को कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक रूप में लिये गये 01 दिवसीय सामूहिक अवकाश को स्वीकृत करने के संबंध में :-

निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश आवेदनों को; संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी के द्वारा खाते में अवकाश होने की स्थिति में, स्वीकृत कर सकेंगे। अतः संबंधितों के अवकाश आवेदन इस आशय की सूचना के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाये। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ती न किया जाय।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव (कार्यवाहक)